भारतीय मानक ब्यूरो एस सी ओ 335-336, सेक्टर 34-ए, चण्डीगढ़ - 160022

11 अगस्त 2015

निविदा सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योग्य बोली दाताओं से धर्मशाला/डलहौजी/मसूरी मेंऔर आसपास के स्थानों में से एक पर अपने होलीडेहोम की स्थापना के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के तहत सीलबंद बोलियाँ आमंत्रित करता है।

1. योग्यता

चाहिए ।

- क) बोलीदाता के पास व्यापार करनेके लिए उपयुक्त प्राधिकारी का एक लाइसेंस होना चाहिए । ख) बोलीदाता के पास एक होटल /गैस्ट हाऊस धर्मशाला/डलहौजी/मसूरी में और आसपास के स्थानों में से किसी एक में होना चाहिए ।
- ग) बोलीदाताके पास आयकर विभाग द्वारा जारी एक वैध पैन होना चाहिए । घ) बोलीदाता के पास वैध सर्विस टैक्स पंजीकरण होना चाहिए ।
- ङ) बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागों/मंत्रालयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो (घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है)। च) बोलीदाता के पास पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष 5 लाख रूपए का न्यूनतम कारोबार होना

- 2. संविदा की प्रस्तावित वैधताः एक वर्ष
- 3. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता

स्थान: उपरोक्त पते पर, कायार्लय समय के दौरान प्रशासन विभाग,

एवं भा.मा.ब्यूरो वेबसाईट: www.bis.org.in या www.eprocure.gov.in

अविध: 11 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2015

4. प्री बिड कांफ्रेंस : 19 अगस्त 2015 (बुधवार) को 1500 बजे

5. बोलियाँ प्रस्त्त करने की विधि

एक लिफाफा, जिस पर लिखा हो : "भारतीय मानक ब्यूरो होलीडेहोम की स्थापना के लिए आवास उपलब्ध करानेकी बोली" के दो लिफाफे 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' हों और उन पर पार्टी का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा उसे" सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, एस सी ओ 335-336, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़ - 160022 के पास भिजवाएं।

6. बोलियाँ खोलना :तकनीकी बोलियाँ 31 अगस्त 2015(बुधवार) को

1530 बजेखोली जाएंगी।

7.धरोहर राशि जमा : रू 10,000/-

8.कार्य सिक्योरिटी जमा: संविदा की कुल वार्षिक लागत का 5%।

9.बोलियों की वैद्यता :तकनीकी बोली के खुलने से 90दिनों तक।

10. ब्यूरो किसी भी स्तर पर कोई कारण बताये बिना किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(अमित गर्ग)

सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

ई- मेल: adminnro@bis.org.in फ़ोन: 0172-2604552 / फैक्स: 0172-2602025, 2604552

संदर्भ: 30क्षे0का0/प्रशासन/66/1/2015

निविदा दस्तावेज

अनुसूची – 1 बोली दाताओं के लिए निर्देश

1. बोली आमंत्रण की सूचना

1.1भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), धर्मशाला/डलहौजी/मसूरी और आसपास के स्थानों में से एक पर भारतीय मानक ब्यूरो होलीडेहोम की स्थापना के लिए

आवास उपलब्ध करानेके लिए दो बोली प्रणाली के तहत इच्छुक पार्टियों से मुहरबंद बोली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) आमंत्रित करता है।

2. निविदा दस्तावेज़ जारी करना

2.1 कार्यालय समय के दौरान प्रशासन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, एस सी ओ 335-336, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़ - 160022

अविध : 11 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2015 (1500 बजे तक)

- 2.1निविदा दस्तावेज़ ब्यूरो www.bis.org.in या www.eprocure.gov.in की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.2टेंडर जारी होनेके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज़ में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली में ही शामिल करने के लिए शुद्धि पत्र/ परिशिष्ट के रूप में संभावित बोलीदाताओं के लिए सूचित किया जाएगा।
- 2.3 कहीं भी बोली दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन और परिवर्धन की अनुमित नहीं है। इनमें से किसी के भी पाए जाने पर बोली को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। 2.4 बोलीदाता अपनी बोलीकी तैयारी और प्रस्तुत करनेके साथ जुड़े सभी लागत

वहन करेगा। ब्यूरो, किसी भी मामले में, चाहे संचालन हो या बोली लगानेकी प्रिक्रिया के परिणाम हों, इन लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

3. बोली/अनुबंध की भाषा

3.1बोली की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी होगी और सभी पत्राचार अंग्रेजी/हिन्दी आदि में किए जाएंगे।

4. प्री बिड कांफ्रेंस

4.1सभी इच्छुक बोलीदाताओंके लिए एक पूर्व बोली कांफ्रेंस अनुसूची-4 में दर्शाए अनुसार निर्धारित दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी। बोलीदाताओं का यदि कोई स्पष्टीकरण हो, उसे पूछने के लिए अनुमति दी जाएगी।

5. बोलियों की वैधता

5.1 बोलियाँ इसके ख्लने की तिथि से 90 दिनों की अविध के लिए वैद्य होंगी।

6 बयाना/ बोली सुरक्षा राशि

- 6.1 बोलीदाता, ब्यूरो के पास एक ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में अनुसूची 4 में दर्शाए गए अनुसार जमा करेगा। बयाना राशि भारतीय मानक ब्यूरो, चण्डीगढ़ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट /पे आर्डर के रूप में जमा की जाएगी।
- 6.2 बयाना राशि जमा करने के लिए विफलता या चूक बोली को अयोग्य घोषित करेगा और ब्यूरो अपने विचार से इस तरह की बोली को अयोग्य घोषित करेगा।
- 6.3 बोलीदाता, बोली की वैद्यता अविध के दौरान ब्यूरो की सहमित के बिना अपनी बोली को रद्द नहीं करेगा या अपने नियमों और शर्तों को भिन्न नहीं करेगा। यदि बोलीदाता, बोली को रद्द करेगा या इसकी शर्तों एवं नियमों में भिन्नता करेगा तो ब्यूरो द्वारा इसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धरोहर राशि जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा ऐसी रोक की तिथि से प्रभावी होकर 24 महीने की आगामी अविध के दौरान तक ब्यूरो होली डे होम की स्थापना हेतु बोली प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।
- 6.4 सफल बोली लगाने वाला निर्धारित सीमा में कार्यकारिता सुरक्षा का भुगतान नहीं करता या समझौते बांड पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा ब्यूरो द्वारा जब्त की जाएगी।
- 6.5 असफल बोलीदाता की बयाना राशि की ब्यूरों के समक्ष अपेक्षित कार्य निष्पादन प्रतिभूति सफलतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करने के बाद एवं बोलियों की वैद्यता अविध की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर संविदा हस्ताक्षर करने के बाद वापिस लौटा दी जाएगी।

7 योग्य बोलीदाता

- क) बोलीदाता के पास व्यापार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का एक लाइसेंस होना चाहिए।
- ख) बोलीदाता के पास एक होटल/गैस्ट हाऊस धर्मशाला/डलहौजी/मसूरी में और आसपास के स्थानों में से किसी एक में होना चाहिए।
- ग) बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी एक वैद्य पैन होना चाहिए।
- घ) बोलीदाता के पास वैद्य सर्विस टैक्स पंजीकरण होना चाहिए।
- ड.) बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागों/ मंत्रालयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो (घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है)
- घ) बोलीदाता के पास पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष 5 लाख रूपए का न्यूनतम कारोबार होना चाहिए।

8 दरें कैसे उद्धृत की जानी हैं

- 8.1 बोलीदाता से बाजार में प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए उसकी दरों को देने की उम्मीद की जाती है। बोलीदाता दरों और कीमतों के रूप में अन्यथा प्रदान के अलावा, अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों और सभी मामलों और आवश्यक चीजों को कवर करेगा जो संलग्न कार्यक्रम में उद्धृत अपनी बोली की शुद्धता और प्रचुरता के रूप में बोली लगाने से पहले खुद को संतुष्ट किया समझा जाएगा।
- 8.2 बोलीदाता अनुसूची 5 में दी गई वित्तीय निविदा में दरों को उद्धृत करेगा। यदि किसी वित्तीय निविदा में दरें उद्धृत नहीं की तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 8.3 प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा। ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद वार्षिक आधार और आपसी सहमति पर आगे दो वर्षों के लिए अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एक बार उद्धृत दरों को अनुबंध के नवीकरण के समय बदला नहीं जाएगा।

9. बोली प्रस्तुत करने के तरीके

9.1 अनुसूची 4 में दर्शाए गए रूप में पूरी बोली प्राप्त की जाएगी जो बोली बॉक्स के माध्यम से या डाक द्वारा निर्धारित समय से पहले निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाई जाएगी। 9.2 ई-मेल या फैक्स के माध्यम से प्राप्त की बोली को खारिज कर दिया जाएगा।

10 जमा करने की अंतिम तिथि

- 10.1 मुहरबंद निविदाएं निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और दिनांक के बाद निर्दिष्ट पते पर प्राप्त नहीं की जाएंगी। निर्धारित दिनांक और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, इस तरह की बोलियों को अस्वीकार कर बंद बोलीदाता को वापिस भेजा जाएगा।
- 10.2 बोली जमा करने की निर्धारित तिथि को अवकाश की घोषणा होने की स्थिति में प्रस्ताव अगले कार्य दिवस पर नियत समय तक प्राप्त किए जाएंगे।

11 प्रस्ताव में संशोधन एवं वापसी

11.1 बोलीदाता, बोली प्रस्तुत करने के बाद अपनी पेशकश वापिस ले सकते हैं बशर्ते कि बोलीदाता से बोली वापिस की लिखित सूचना बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले ब्यूरो को प्राप्त होती है।

12 बोली दस्तावेज की सामग्री

12.1 बोलियां दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) में आमंत्रित की जाती हैं। पूरी बोली सीलबंद लिफाफे पर अनुसूची 4 में उल्लेख के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से होली है होम स्थापना के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए लिखकर भेजें।

12.2 लिफाफे में निम्नलिखित रखें :

- क) **लिफाफा नं 1 (तकनीकी बोली) :** इसमें निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम और शर्तों के साथ साथ सभी तकनीकी विवरण शामिल करने चाहिए :
- i) संलग्न सभी दस्तावेजों की सूची
- ii) उपरोलिखित खंड 6.1 में दर्शाए गए रूप में ईएमडी
- iii) होटल उद्योग के कारोबार को चलाने के लिए पार्टी को दिए गए उपयुक्त प्राधिकारी को वैदय लाइसेंस की स्व- सत्यापित प्रतिलिपि
- iv) अनुसूची 7 के अनुबंध 5 में होलीडे होम का विवरण
- v) प्रति वर्ष 5 लाख रूपए के न्यूनतम कारोबार के सबूत में चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित पिछले तीन वर्षों के लाभ और हानि खाते एवं आय और विवरण की प्रतियाँ

- vi) आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए वैद्य पैन एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण के प्रमाणों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ
- vii) पत्राचार के लिए नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल इत्यादि के साथ मालिक/साथी/निर्देशक के विवरण सहित फर्म (फर्मीं) का विवरण (अन्सूची 7 के अन्बंध 2)
- viii) एक फर्म के मामले में, प्रत्येक पार्टनर या अटॉर्नी धारक बोली पर हस्ताक्षर करेगा। बोली, हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रतियाँ बोली के साथ संलग्न की जाएंगी। पाँवर ऑफ अटार्नी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी। प्राइवेट लि./पब्लिक लि. कंपनियों के मामले में पाँवर ऑफ अटार्नी के सहायक बोर्ड संकल्प एवं उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- ix) सभी पृष्ठ और चिपकाई गई प्रतियों को बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कोई पृष्ठ बोली दस्तावेज के सेट से जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा। विधिवत हस्ताक्षर किए गए बोली दस्तावेज़ अपनी स्वीकृति की निशानी के रूप में वापस किए जाएंगे।
- x) पिछले तीन (3) वर्ष (अनुसूची 7 के अनुबंध 3) में किए गए कार्य/सेवा को दर्शाने वाला विवरण
- xi) काली सूची और/या म्कदमों (अन्सूची 7 के अन्बंध 4) के बारे में एक घोषणा।
- ख) लिफाफा सं 2 (वित्तीय बोली) इस लिफाफे में अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित स्थानों पर भाड़े की सेवाओं के लिए केवल श्रेणीकर मूल्य रखे जाएंगे जिन्हें विधिवत् एवं बोली के तय स्थान पर बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके रखा जाएगा। खंड 8 के निर्देशों का ध्यान रखा जाए।
- ग) लिफाफा कवर: दोनों लिफाफे 1 और 2 को एक आम सीलबंद लिफाफे में अनुसूची 4 में दर्शाए अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए बोली एवं बाईं तरफ बोली लगाने वाले का नाम और पता लिखा जाएगा।
- 13 बोलीदाता द्वारा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- क) वित्तीय निविदा उपयुक्त स्थानों (अनुसूची 5) पर शब्दों और अंकों, दोनों में लिखा जाना चाहिए।
- ख) बालीदाता जो बोली प्रस्तुत करेगा उसमें निविदा दस्तावेज में दी गई प्रत्येक एवं हर एक शर्त को संतुष्ट करेगा। ऐसा न हाने पर बोली को रद्द कर दिया जाएगा। सशर्त बाकी बोलियों को रदद कर दिया जाएगा।

14 बोली खोलना

14.1 निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोली अनुसूची 4 (यदि संभव हो), में दर्शाए गए कार्यालय में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बोलीदाताओं के सामने या प्राधिकृत प्रनिनिधियों जो सूचीबद्ध समय पर खोलने वाले दिन को उपस्थित रखने के लिए जिनका चयन किया जाएगा उनके समक्ष खोली जाएगी।

15 बोलीदाताओं की छँटाई

15.1 ब्यूरो केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलेगा जिनको तकनीकी बोली में अर्हक सूची में रखा जाएगा। ऐसे बोलीदाताओं को तिथि एवं समय सूचित कर वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

16 वित्तीय बोलियां खोलना

16.1 ब्यूरो निर्दिष्ट तिथि को लिफाफा सं 2 खोलेगा तथा मूल्य तालिका (अनुसूची 5) में बोलीदाता द्वारा उद्धत दरों को पढ़ा जाएगा।

17 बोली की स्वीकार्यता

17.1 ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता की जाएगी। वित्तीय बोली में उद्धृत दरों के अनुसार L 1 के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। ब्यूरो न्यूनतम या किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना किसी कारण बताये प्राप्त बोली या बोलियों में से किसी या सभी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफल बोलीदाता को भिजवाई जाएगी

18 प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी

18.1 जॉच संबंधी जानकारी, मूल्यांकन एवं बोलियों की तुलनात्मक तथा संविदा देने के संबंध में बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को जिसका इस बोली से संबंध न हो और जब तक सफलतम बोलीदाता का नाम घोषित न किय जाए, प्रकट नहीं करेगा।

19. संविदा दस्तावेज का निष्पादन

19.1 **कार्य निष्पादन** : सिक्योरिटी को जमा करने के बाद, सफलतम बोलीदाता के लिए 100/- रूपये के उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न फार्म में डुप्लीकेट प्रतियों में करार करना अपेक्षित है । करार बोली स्वीकार करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना चाहिए । संविदा (सी ओ सी) में यथा निर्दिष्ट करार, संविदा की शर्त (सी ओ सी) एवं अन्य दस्तावेजों द्वारा शासित की जाएगी ।

19.2 निष्पादन की तिथि को यथा लागू करार हेतु, स्टाम्प डयूटी, विधि एवं वैधानिक प्रभारों के भुगतान हेतु सफलतम बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी ।

20. ब्यूरो के अधिकार

20.1 ब्यूरो इस बोली में रखे गए कार्यों को बढ़ाने/ कम करने की उपयुक्ता का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

20.2 निविदा दस्तावेज के किसी खंड या संविदा की शर्तो की व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में ब्यूरो द्वारा खडों की व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी ।

21. संविदा का भाग बनाने संबंधी सूचना

21.1 निविदा सूचना एवं दिए गए निर्देश संविदा के भाग बनेंगे।

अनुसूची- 2

संविदा की शर्ते:

1. परिभाषाएँ

- 1. 'अनुलग्नक' से अभिप्राय इन शर्तो में संदर्भित निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबद्व अनुलग्नक से है ।
- 2. 'अनुमोदित' से अभिप्राय पिछले मौखिक अनुमोदन के बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन है तथा अनुमोदन से अभिप्राय है कि यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन से है ।
- 3. 'बोली' से तात्पर्य विहित स्थानों पर होलीडे होम आवास हेतु ब्यूरो को प्रस्तावित संविदाकार ने मूल्य तथा संविदा, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य संस्थापन एवं सेवाओं के प्रावधान सहित इसके अन्सार किसी प्रकार की किमयों के उपचार से है।
- 4. 'ब्यूरो ' से तात्पर्य है, भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम 1986 के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ।
- 5. 'आरम्भ तिथि' से तात्पर्य है, विहित स्थानों पर सेवाएं उपलब्ध कराने की शुरूआत संबंधी वह तिथि है, जिसका संविदाकार को सूचना प्राप्त हो ।
- 6. 'सक्षम अधिकारी ' से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ।
- 7. 'संविदा' से तात्पर्य है, निविदा सूचना हेतु, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तो एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र , प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृत आपकी शर्ते तथा बताए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज ।
- 'संविदा राशि' से तात्पर्य है संविदाकार, द्वारा उसकी बोली में उद्दत की गई राशि एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य।
- 9. 'संविदाकार' से तात्पर्य है, व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे निगमित हो या नहीं, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिध या ऐसी फर्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कम्पनी या ऐसी फर्म के उत्तराधिकारी या कम्पनी , जो भी मामला हो ऐसे व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को सौंपी गई अनुमति ।
- 10. 'उपमहानिदेशक ' से तात्पर्य है, ब्यूरो का उपमहानिदेशक, उस कार्यालय का समय -समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे ।
- 11. 'सरकार ' से अभिप्राय है, केद्रीय सरकार ।

- 12. 'स्वीकार्यता पत्र ' से अभिप्राय है, ब्यूरो द्वारा अधिकारिक स्वीकृति ।
- 13. 'सेवाओं' से अभिप्राय है, संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं तथा निविदा दस्तावेज में विहित की गई अन्य सेवाएं शामिल होगी ।
- 14. 'विशिष्ट' से अभिप्राय है, निविदा में संदर्भित विशिष्टि। जहाँ कोई विशेष विशिष्टि न दी गई हो तो ब्यूरो की संबद्व विशिष्टि जहां कोई हो तो लागू हो ।
- 15. 'निविदा' से तात्पर्य है, संविदा आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम हेतु तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण ।
- 16. 'पूर्णता समय' से अभिप्रय है, आरंभिक तिथि से संगणित संविदा में यथा वर्णित सेवाएं या उसके किसी भी भाग से उपलब्ध कराने हेत् विहित समय ।

2. संविदा हेत् पक्ष

- 2.1 संविदा का पक्ष संविदाकार होगा, जिसको ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- 2.2 प्रस्ताव या फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति, संविदा से संबद्व सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों या फर्म को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा । यदि यह पाया गया कि संबद्व व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकारी नहीं है, ब्यूरो, अन्य किसी सिविल/ अपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाए रख सकता है तथा / या फर्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं न्कसानों हेत् देय होती है ।

3. निष्पादन प्रतिभूति

3.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, व्याज- मुक्त निष्पादन प्रतिभूति, अनुसूची-4 में यथा वर्णित राशि हेतु, संविदा में दिए गए सफलतम बोली दाता से प्राप्त की जाएगी । इसके पंजीकरण स्तर इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर , निष्पादन प्रतिप्रर्ति अकाउंट पेयी डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में 'भारतीय मानक' ब्यूरो में पक्ष में 'चण्डीगढ़ ' में देय या अनुसयूची- 7 के अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फामेंट के अनुसार बैंक गारंटी दी जाएगी ।

- 3.2 कार्य निष्पादन सिक्योरिटी संविदाकार की सभी संविदागत देय राशि के पूर्ण होने की तिथि से ऊपर 60 दिनों की अविध हेतु वैध रहेगी । संविदा पूरी होने के 60 दिनों के बाद ब्यूरो द्वारा संविदाकार को कार्य निष्पादन सिक्योरिटी को लौटा दिया जाएगा बशर्तें कि संविदाकार पर ब्यूरो को काई दावा शेष न हो ।
- 3.3 इस संविदा या किसी प्रकार का अन्य लेखा, की शर्तों के तहत संविदाकार से देय/ वसूलनीय कोई राशि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी जमा राशि को ऐसी किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरो से 'मॉग सूचना 'की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा । यदि सिक्योरिटी को संविदाकार द्वारा बैंक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है, तो निर्धारित या अनिर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरो को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त गारंटी की शर्तों के तहत ब्यूरो को उक्त बैकरों द्वारा मॉग पर तुरन्त भुगतान किया जाएगा ।
- 3.4 यदि इस संविदा की अविध के दौरान, संविदाकार इस संविदा के तहत, देय एवं इसकी देयताओं के तहत सही कार्य निष्पादन सें चूकता है या जुर्माने के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चूकता है तो ब्यूरो इसके तहत उसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर प्रभाव डाले बिना या लागू कानून पर, कार्य निष्पादन (सिक्योरिटी) से उसे रोकने का हकदार रहेगा।
- 3.5 ब्यूरो को संविदाकार से यदि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी की राशि से अधिक उक्त जैसे नुकसानों, हानियों, लागत, प्रभार एवं खर्च की राशि होगी, तो उसे मुकदमें या इसी प्रकार के अन्य तरीके से वस्लने से रोका नहीं जाएगा।

4. संविदा दस्तावेज

- 4.1 संविदा बनाने वाले विभिन्न संविदा दस्तावेजों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में वर्णित किया जाएगा तथा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुमेलित किया जाए। इस पर यह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी: 1. करार
 - 2. पूर्व- बोली बैठकों,स्पष्टीकरणों के कार्यवृत
 - 3. संविदा की शर्त

- 4. निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज
- 5. स्वीकार्यता पत्र
- 6. संविदा के संबंध में पक्षों के बीच दिए गए अन्य पत्राचार
- 7. संविदाकार का प्रस्ताव

5. संविदा की वैधता

- 5.1 इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिए संविदा होगी। तथापि, संविदा की वार्षिक समीक्ष की जाएगी तथा संविदा अविध के दौरान संतुष्टिपरक निष्पादन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमित की शर्त पर वार्षिक आधार पर इसे अधिकतम तीन वर्षों हेतु बढ़ाया जाएगा।
- 6. भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम के लिए आवास उपलब्ध कराने हेत् विस्तृत कार्यक्षेत्र
- 6.1 इस अनुबंध के तहत कार्य हेतु निम्नलिखित बिन्दु कवर होगें :
- क) धर्मशाला/डलहौजी/मसूरी में से एक सुविधाजनक स्थान पर ठेकेदार होटल / गैस्ट हाउस में भारतीय मानक ब्यूरो के लिए होलीउं होम की स्थापना के लिए आवास प्रदान करेगा ।
- ख) बस स्टैंड और / या रेलवे स्टेशन से भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम के लिए होटल/ गैस्ट हाऊस एक सुविधजनक दूरी पर हो ।
- ग) होलीडे होम चार से छ: कमरों से मिलकर बना हो और प्रत्येक कमरे में कम से कम चार व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए क्षमता होनी चाहिए । प्रत्येक कमरे में एक बालकनी होनी चाहिए ।
- **घ)** इन कमरों में प्रदान किए गए डबल बेड या दो सिंगल बैड के अतिरिक्त, अलग से बिस्तर (दो) के रूप में होलीडे होम प्रदाता द्वारा किसी भी अतिरिक्त भुगतान के बिना जरूरत पड़ने पर दिया जाएगा।
- **ड)** कमरों में बाथरूम, गीजर और 24 घंटे पानी की आर्पूति के साथ संलग्न शौचालय की सुविधाएँ होनी चाहिए ।

- च) कमरों में फर्नीचर आइटम जैसे एक डबल बैड या दो सिंगल बेड बिस्तर सिंहत, ड्रेसिंग टेबल, अलमारियों, दो कुर्सियां/ सोफा सीटों के साथ एक सेंटर टेबल एवं केबल/ डी टी एच कनेक्शन के साथ रंगीन टी वी आदि जैसी स्विधाएँ होनी चाहिए।
- **छ**) कमरे अच्छी तरह से अधिमानतः सन फेसिंग, हवादार और साफ सुथरे होना चाहिए । दरवाजों सिहत कमरे, खिड़िकयाँ, पट्टे की अविध शुरू होने से पहले पेंट किए हों और वर्ष में एक बार उन्हें पॉलिश / दोबारा पेंट किया जाना चाहिए ।
- ज) कक्ष प्रतिदिन और जब आवश्यक हो, साफ किया जाएगा । चादरें दैनिक और रहने वालों के परिवर्तन के साथ बदली जाएगी ।
- झ) पर्दे समय- समय पर साफ किए जाएँगे।
- ज) चैकिंग इन के समय प्रत्येक कमरे के लिए दो तौलिए और दो साबुन एक बार अधिकारियों को प्रदान किए जाएँगे।
- ट) कांट्रैक्टर (होलीडे होम प्रदाता) स्नानघर/ शौचालय में दोनों, गर्म और ठंडे पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ।
- ठ) होलीडे होम प्रदाता इमारत में सभी रखरखाव के कामों को सारी फिटिंग्स एवं उपकरण अच्छी हालत में रखेगा ।
- ड) सर्दियों में , प्रत्येक वर्ष 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक तथा वर्ष के दौरान किसी भी अविध में हीट- कनवेक्टर मॉगने पर होलीडे होम प्रदाता कमरे के अतिथियों को उपलब्ध कराएगा ।
- ढ) होलीडे होम में कमरे में खाना उपलब्ध करवाने की सुविधा होनी चाहिए।
- ण) बी आई एस के कर्मचारियों द्वारा खाना मंगवाए जाने पर रेस्तरां की मैन्यू कीमतों पर कांट्रैक्टर द्वारा 20% की छूट दी जाएगी।
- प) लीज़ अनुबंध के दौरान कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- फ) होटल में पहुँचने पर कांर्टैक्टर काम्पलीमैंट्री चाय/कॉफी उपलब्ध करवाएगा।
- ब) संविदाकार होलीडे होम के परिसरों में, उसी तल पर, भारतीय मानक ब्यूरो की सुविधा के लिए एक साधारण रसोईघर, जिसमें चालू हालत का गैस स्टोव, 2 प्रेशर कुकर एवं रहने वालों के प्रयोग के लिए पर्याप्त संख्या में बर्तन उपलब्ध कराएगा (4 पतीले, 1 तवा, 4 प्लेटों सहित कटोरियों के 4 सेट, पर्याप्त गिलास व चम्मच इत्यादि)

- भ) होलीडेहोम में कार पॉर्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- म) कांट्रैक्टर (होलीडे होम प्रदाता) आवश्यकता पड़ने पर ड्राइवर के रहने का प्रबंध बिना पैसे लिए करेगा।
- य) कांट्रैक्टर (होलीडे होम प्रदाता) यह भी सुनिश्चित करेगा कि कुश्ल सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु उचित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हों।

7. कांर्टेक्टर के दायित्व

- 7.1 संविदाकार उपरोक्त खंड 6 के अनुसार होलीडे होम आवास उपलब्ध कराएगा जिसे संविदाकारी अविध के दौरान ब्यूरो द्वारा समय- समय पर संशोधित किया जा सकता है तथा यह संविदा के हमेशा भाग रहेंगे । समय- समय पर ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार कार्यो का संविदाकार अनुपालन करेगा ।
- 7.2 संविदाकार भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम को चलाने के लिए सभी खर्च वहन करेगा तथा भारतीय मानक ब्यूरो संविदा के अनुसार किसी भी वित्तीय बोली, कर देयता, यदि कोई है को छोडकर किए गए खर्चों को किसी भी तरह से भ्गतान करने हेत् दायी नहीं होगा ।
- 7.3 संविदाकार द्वारा धारक कमरों को ताला लगा कर रखा जाएगा तथा केवल भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारियों, जिन्हें सरकारी तौर पर इन कमरों में रहने हेतु आबंटित किए गए हों, को छोड़कर किसी को भी इन्हें प्रयोग करने की अनुमित नहीं दी जाएगी । इस प्रयोजनार्थ भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारी के पास पट्टेदार से प्राप्त सरकारी पत्र होगा ।
- 7.4 होलीडे होम प्रदाता भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के ठहरने वालों का रिकार्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखेगा ।
- 7.5 होलीडे होम प्रदाता द्वारा कमरों को ताला लगाने एवं खोलने हेतु तथा रिकार्ड रखने इत्यादि की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।
- 7.6 रसोई के बर्तनों को आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 2-3 बार धोने हेतु धुलाईवाला उपलब्ध कराना संविदाकार की जिम्मेवारी होगी । इस सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा ।
- 7.7 भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम में सेवा करने वाला स्टाफ अच्छी यूनिफार्म में होना चाहिए ।

8. भ्गतान शर्ते

- 8.1 भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम को चलाने के लिए ठेकेदार को किसी भी न्कसान के मामले में भ्गतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 8.2 पट्टा राशि का भुगतान अग्रिम में अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा और लागू वैधानिक करों को ठेकेदार से बिल की रसीद पर बनाया जाएगा । भुगतान यानि आयकर अधिनियम , 1961 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा, टैक्स प्रस्तुत प्रत्येक बिल की सकल राशि से प्रचलित दरों पर, उपकर/अधिभार के साथ स्त्रोत पर कटौती की जाएगी ।
- 8.3 अस्थायी रूप से अनुबंध के निलंबन के मामले (परिच्छेद 11 में देखे) में, निलंबित रहे दिनों के अनुबंध के लिए ठेकेदार को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. जुर्माना लगाना

- 9.1 यदि यह पाया गया कि होलीडे होम में आने वाले भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा अपने कर्मचारियों को सरकारी तौर पर आबंटित कमरे को पहले ही अन्यों द्वारा कब्जा किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक कब्जे पर रू0 5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा ।
- 9.2 यदि उपरोक्त खंड 6.1 के अनुसार, रसोई में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं समुचित रूप से आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई और इस संबंध में उनसे शिकायत प्राप्त हुई तो प्रत्येक अवसर पर रू0 1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा ।
- 9.3 यदि भारतीय मानक ब्यूरो से लिखित पत्राचार की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, 9.1 एवं 9.2 खंड में दर्शाए गए अनुसार जुर्माना राशि का भुगतान करने से संविदाकार चूकता है तो कार्य निष्पादन सिक्योरिटी से इसे काटा जाएगा ।

10. क्षतिपूर्ति

- 10.1 संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रापर्टी, जो भी हो, के चोटिल होने या नुकसान होने पर ब्यूरो के सभी नुकसानों एवं दावों, जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरूप हों तथा सभी दावों, माँगों, प्रक्रियागत, नुकसान, लागत, प्रभार एवं खर्च, इस संबंध में जो भी हो या समय-समय पर यथा संशोधित विभिन्न श्रमिक कानूनों के उपबंधों के तहत इससे संबंदव की क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूर्ति कराएगा।
- 10.2 संविदाकार ब्यूरो के विरूद्व सभी दावों, नुकसानों, लागत नुकसानों, खर्चीं, वाद कार्रवाई

एवं अन्य प्रक्रिया, किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामत: ट्रेडमार्क, कॉपीराईट इत्यादि ऐसे ही अन्य वैधानिक उल्लंघनों की क्षतिपूर्ति, स्रक्षा एवं बचाव करेगा ।

11. संविदा का समापन/आस्थगन

- 11.1 ब्यूरो को बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर इस संविदा को अस्थायी तौर पर किसी भी समय आस्थगित करने की स्वतंत्रता होगी । संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या दुर्व्यवहार हेतु इस संविदा की किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों को भंग करने के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देते हुए जो भी ब्यूरो का निर्णय हो, संविदाकार के लिए अन्तिम होगा तथा संविदाकार का कोई भी हकदार नहीं होगा ।
- 11.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में, जिसे परिणामतः संविदा के तहत वह अपनी सेवाओं देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो तो इसे एक गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के भी होने पर माना जाएगा।
- क) ब्यूरो की राय में संविदाकार संविदा के विरूद्ध हो गया हो ।
- ख) इस संविदा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति शुरू करने में बिना किसी समुचित कारण के चूकने पर या पूर्णता हेत् तथा समय के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहने पर ।
- ग) लिखित में ब्यूरो की ओर से पिछली चेतावनियों के बावजूद, संविदा के तहत इसकी जिम्मेदारियों के अनुपालन मे अन्यथा घोर लापरवाही रहने पर ।
- घ) यदि संविदाकार सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनाए गए किसी कानून को भंग करता हो ।
- ड्यूरो के न्याय में संविदाकार, संविदा के तहत सेवाओं को पूर्ण करने या निपटाने में भ्रष्ट
 या गलत रीतियों में लिप्त हो ।
- च) संविदाकार स्वैच्छिकता या अस्वैच्छा से दिवालिया या परिसमापित हो जाता है।
- छ) संविदाकार दीवालिया हो जाता है।
- ज) इसकी परिसम्पतियों के किसी बड़े भूभाग पर कोई रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या परिसामापक नियुक्त कर दिया जाता है।

झ) संविदाकार या इसकी सम्पितयों के संबंध में कोई कार्यवाही या घटना होती है, जिससे किसी लागू कानून के तहत/चालू क्रिया या घटनाओं पर किसी प्रकार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ड.) ब्यूरो की पूर्व अनुमित के बिना संविदाकार (संघ के मामले में) संघ के गठन तथा/या संघ के किसी सदस्य की जिम्मेवारी में संशोधन करता है।

12. ब्यूरो द्वारा समापन

12.1 बिना कारण बताए तथा हानि या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरो के लिए भी वैधानिक होगा जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे समापन के लिए ब्यूरो द्वारा संविदाकार को 15 दिनों का लिखित में नोटिस दिया जाएगा। संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकृल प्रभार डाले बगैर होगा।

13 समापन हेतु संविदाकार का अधिकार

13.1 यदि संविदाकार संविदा अविध की समाप्ति से पूर्व संविदा समाप्त करने का निर्णय लेता है तो संविदाकार को न्यूनतम 30 दिनों की अग्रिम रूप में सूचना देनी पड़ेगी । यदि संविदाकार 30 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी ।

14. मुख्य खंड लागू करना

14.1 इस संविदा की बारंबारता के दौरान किसी भी समय पर यदि इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण रूपेण या अंशत निष्पादन को किसी लड़ाई, युद्ध स्थिति, सार्वजनिक शत्रुता संबंधी कार्यों, महामारियों, सार्वजनिक हुल्लड़, तोड़-फोड, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, संगरोधन प्रतिबंधन, हड़ताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा (इसमें आगे ऐसे कार्य कहा गया है) के कारणों से रोका जाएगा या देरी की जाएगी बशर्ते ऐसी घटनाओं के नोटिस घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक पक्ष, दूसरे पक्ष को देता है। कोई भी पक्ष ऐसी स्थित में न तो इस संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य नुकसानों की भरपाई का दावा करेगा और जब तक ऐसी घटनाएं समाप्त न हो जाएं या बंद न हों, इसके बाद व्यवहारिक रूप से संविदा शुरू नहीं की जाएगी तथा जब तक ब्यूरो के उप-महानिदेशक पुन: संविदा को शुरू करने या न करने का निर्णय नहीं करते, इस मामले में उप-महानिदेशक का निर्णय अन्तिम एवं निर्णयक होगा।

15. भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

- 15.1 ब्यूरो को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसी संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरान्त, ब्यूरो निम्नानुसार शर्तें सेट करना परिभाषित करता है:
- क) भ्रष्ट रीति से अभिप्राय है, प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्त् का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना, एवं
- ख) कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय है कि ब्यूरो को हानि पहुँचाने के लिए प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृत्रिम तौर पर अप्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुतीकरण से पूर्ण या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल हैं तथा ब्यूरो को मुफ़्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना शामिल है
- 15.2 यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि संविदा हेतु जिस बोलीदाता के नाम की सिफारिश की गई वह संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा में अष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ऐसी संविदा के प्रस्ताव को रद्व कर दिया जाएगा । यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि फर्म संविदा की प्रतिस्पर्धा की अष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिपत है तो उस फर्म को अनिश्चित काल या 24 माह तक की समय सीमा हेतु अयोग्य समझा जाएगा ।

16. गोपनीयता

16.1 संविदाकार इस संविदा के तहत होलीडे होम की सेवाएं देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यूरो से लिखित में सहमित न ली जाए।

17. प्रचार-प्रसार

17.1 जिस किसी भी प्रचार सामग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को ऐसे केवल ब्यूरो से लिखित अन्मति लेने पर ही करना चाहिए ।

18. विवाद एवं विवाचक

18.1 ब्यूरो और संविदाकार संविदा से जुड़े किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे

अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे । यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल नहीं किया जा सके तो उस मामले को अनुसूची-4 में दर्शाए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जाएगा । भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

19. नोटिस भेजने का तरीका

- 19.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा । नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) के केवल डिलीवरी होने पर ही प्रभावी होगा ।
- 19.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएंगे । यदि संविदाकार के अंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि नोटिस सामान्य डाक से भेजा जाने पर इसे समय पर या डिलीवर हुए के समान माना जाएगा ।
- 20. शासन की भाषा
- 20.1 सम्पूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार हेतु शासति भाषा केवल अंग्रेजी/हिन्दी होगी ।
- 21. कानून
- 21.1 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी ।
- 22. कानूनी क्षेत्र
- 22.2 संविदाकार द्वारा केवल चण्डीगढ की स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

23. स्टॉम्प इ्यूटी

23.1 संविदा से संबद्ध किसी भी प्रकार की स्टॉम्प डद्ययूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा ।

अनुसूची 3

रिक्त पृष्ठ

अनुसूची-4 विशिष्टि एवं संबद्ध तकनीकी विवरण

1. दर संविदा की प्रस्तावित वैधंता

केवल एक वर्ष । तथापि, संविदा की वार्षिक आधार पर समीक्षा होगी तथा फर्म के सेवा-संतुष्टि एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमित के शर्ताधीन 3 वर्षों तक इसे बढ़ाया जाएगा ।

- 2. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता
 - क) स्थान: प्रशासन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, एस सी ओ 335-336, सेक्टर 34-ए, चण्डीगढ़ । भा मा ब्यूरो बेबसाईट:www.bis.org.in अथवा www.eprocure.gov.in
 - ख) अवधि: 11 अगस्त से 31 अगस्त 2015
- 3. पूर्व-बोली कांफ्रेंस
- 19 अगस्त 2015 (ब्धवार) 1500 बजे ।
- 4. बोलियों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति/तरीका

तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली लिखे दो लिफाफों वाला भा मा ब्यूरों के होलीडे होम की स्थापना हेतु आवास उपलब्ध कराने हेतु निविदा लिखकर लिफाफा जिस पर पक्ष का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा सहायक निदेशक (प्रशासन) भारतीय मानक ब्यूरो, एस सी ओ 335-336, सेक्टर 34-ए, चण्डीगढ़ के पास 1500 बजे दिनांक 31 अगस्त 2015 (ब्धवार) तक भिजवाएं।

5. बोलियां खोलना

सहायक निदेशक (प्रशासन) भारतीय मानक ब्यूरो, एस सी ओ 335-336, सेक्टर 34-ए, चण्डीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त 2015 (बुधवार) को 1530 बजे तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी।

6. धरोहर राशि जमा : रू० 10000/- (रूपए दस हजार केवल) ।

7. निष्पादन प्रतिभूति जमा : संविदा देने के कुल वार्षिक मूल्य का 5% ।

8. बोलियों की वैधता : तकनीकी बोली को खोलने से 90 दिनों तक ।

9. इस निविदा/संविदा हेतु ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी:

श्री अमित गर्ग, सहायक निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त) ।

ई-मेल <u>adminnro@bis.org.in</u>

Tel: 0172-2604552

Fax: 0172-2604552/26032025

अनुसूची - 5 वित्तीय बोली
(वित्तीय बोली लिफाफा में प्रस्तुत की जाएं)
संदर्भ नं
सेवा में,
सहा0 निदेशक (प्रशा0एवं वित्त)
एस सी ओ 335-336
सेक्टर 34-ए, चण्डीगढ़

महोदय,

भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम हेतु आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक....... आपकी निविदा पूछताछ के संदर्भ में, मैं/हम निम्नानुसार दरों को उद्धृत करते हैं :

क्रमांक	कमरा नंबर	दर(अंकों में रूपए)	दर(शब्दों में रूपए)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
कुल			

लागू टैक्स

- क) सर्विस टैक्स
- ख) लग्ज़री टैक्स
- ग) अन्य कोई टैक्स, यदि लागू हो

मैंने/हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है । भारतीय मानक ब्यूरो को होलीडे होम उपलब्ध कराने की सेवाओं हेतु सभी शर्तों एवं निबंधनो को समझ लिया है ।

> हस्ताक्षर (सील सहित) फर्म/कम्पनी का नाम

पता:

तिथि:

अनुसूची 6 संविदा फार्म

<u>करार</u>

यह करार के दिन ((माह) 2015 को किया गया है, यह
मैसर्स	(संविदाकार का नाम एवं पता
(जिसे आगे इसमें संविदाकार कहा गया है) जब तक प्रसं	ांगगत या इसके अर्थ विरूद्ध न हो
इसमें जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जाएगा तथा	ा इसके उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दकार
शामिल होंगे, एक पक्ष तथा भारतीय मानक ब्यूरो, एस	सी ओ 335-336, सैक्टर 34- ए
चण्डीगढ़- 160022 (जिसे आगे इसमें ब्यूरो कहा गया है	है, जिसकी अभिव्यक्ति का अभिप्राय
समझा जाएगा, जब तक प्रसंगगत या उसके अभिप्राय विरू	न्द्ध न हों, इसमें उसके उत्तराधिकारी
एवं सुपुर्दकार शामिल होंगे) दूसरे पक्ष के बीच करार हुआ।	
जबिक सेवा प्रदाता संविदाकार है	
एवं ब्यूरो निगमित निसकाय है जो संसद द्वारा अधिनि	नेगमित है। ब्यूरो दर
संविदा आधार पर होलीडे होम का इच्छुक है। अतः खुले	या विज्ञप्ति / लिमिटेड/ एक निविद
पृच्छा दिनांकित के माध्यम से बालियाँ आमंत्रित	की गई हैं।
जबिक संविदाकार (सफलतम बोलीदाता) ने अपनी बोली प्र	स्तुत की, बोली दस्तावेज के अनुसार
देखें तथा बोली की प्रक्रिया के अनुपालन	से 'यथा सफलतम को संविदाकार के
स्वीकार्यता पत्र (LOA) संख्या दिया गया ।	
निविदा दस्तावेज की अनुसूची 2 (शर्तें एवं निबंधन) में	दर्शाए अनुसार शर्तीं एवं निबंधनों ने
अनुपालन हेतु दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए :	
(संविदाकार/ प्राधिकृत प्रतिनिधि	(ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर)	के हस्ताक्षर)
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम

ਪੰਜ	पता
	;
फर्म/कम्पनी की मुहर	ब्यूरो की मुहर
साक्षी	साक्षी
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षी का नाम	साक्षी का नाम
सादा। का नान	सादा। का नाम
पता	पता

अनुसूची-7 बोलीदाताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले यदि कोई है तो अन्य मानक प्रपत्र

1.	अनुलग्नक-1	बैंक प्रतिभूति ब्रांड के प्रपत्र (यथा लागू कार्य निष्पादन सिक्योरिटी के रूप में सफलतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
2.	अनुलग्नक-2	बोलीदाताओं द्वारा भेजे जाने वाले विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
3.	अनुलग्नक-3	पिछले 3 वर्षों में बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सदृश सेवाओं के प्रकारों के विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
4.	अनुलग्नक-4	काली सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणाएँ (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
5.	अनुलग्नक-5	प्रस्तावित भारतीय मानक ब्यूरो होलजीउं होम के विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)

अनुसूची 7 के अनुलग्नक 1 का हिन्दी अनुवाद अपेक्षित नहीं है।

अनुसूची -7 का अनुलग्नक-2

1.	फर्म/	कम्पनी/	होटल	/	डन	का	नाम	:
- .	170 17	-1/0 [0]]/	(1101)	,	Ų-,	-111	-11-1	

- 2. वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी :
- 3. पंजीकरण का मूल्य :
- 4. पत्राचार का पता:
- 5. दूरभाष संख्या :
- 6. ई मेल :
- 7. स्वामी/भागीदार/निदेशक के विवरण:

नाम	पता	अर्हता एवं अनुभव

8. सदृश प्रकृति के कार्य /जॉब हेतु पिछले तीन वर्षों के वितीय वर्षों में फर्म/ कम्पनी का वार्षिक कारोबार (लेखा परीक्षित तुलना-पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की जाएँ)

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रू0)	संलग्न प्रतियाँ (हाँ / नही्)
पिछला वित्तीय वर्ष (Y-1)		
2014-2015		
दूसरा वित्तीय वर्ष (Y-1)		
2013-2014		
तीसरा वित्तीय वर्ष (Y-1)		
2012-2013		

- 9. फर्म/कम्पनी का पैन, टीन नम्बर:
- 10. सेवाकर पंजीकरण सं:
- 11. धरोहर राशि जमा ड्राफ्ट की संख्या/ बैंक का नाम / तिथि :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने निविदा सूचना की शर्तो एवं निबंधनों की पढ़ एवं समझ लिया है ।

मौ/ हम वचनबद्व हैं कि मैं / हम निविदा की सभी शर्तो एवं निबंधनों के लिए मेरी / हमारी बिना शर्त एवं स्पष्ट स्वीकार्यता देता हूं / देते हैं तथा इन शर्तो एवं निबंधनों के पालन के लिए सहमत हूं/ हैं ।

फर्म/कम्पनी का नाम एवं हस्ताक्षर फर्म/ कम्पनी की मुहर

तिथि:

स्थान :

अनुसूची -7 का अनुलग्नक-3 ' तकनीकी बोली' सहित पिछले तीन (03) वर्षो में सदृश प्रकृति के

किए गए कार्यो / सेवाओं के विवरण

बोलीदाता का नाम

वर्ष	प्रदान की	उपभोक्ता	संविदा का	टिप्पणियाँ
	गई	का नाम एवं	मूल्य	
	सेवाओं के	पता		
	नाम एवं			
	प्रकार			
2014-2015				
2013-2014				
2012.2013				

बोलीदाता के हस्ताक्षर बोलीदाता का नाम एवं पता फर्म / कम्पनी की मुहर

तिथि :

अनुसूची 7 का अनुलग्नक 4 'तकनीकी बोली ' के साथ काली-सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/एजेंसी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के तहल किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग/राज्य सरकार या पी एस यू या अन्य निकायों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फर्म/कम्पनी या इसके स्वामी/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है।

दिनांक	 माह	2015
		बोलीदाता के हस्ताक्षर; बोलीदाता का नाम एवं पता
		फर्म/कम्पनी की मुहर

अनुसूची-7 का अनुलग्नक-5

(तकनीकी बोली)

क्रमांक	प्रस्तावित होलीडे होम के विवरण टिप्	पणी
1.	क) होटल/इन का नाम	
	ख) लोकेशन (जहाँ यह स्थित है)	
	ग) रेलवे स्टेशन से दूरी	किमी.
	घ) बस स्टैंड से दूरी	किमी.
2.	क) क्या होलीडे होम के लिए उपलब्ध कराने हेतु चार	
	संघ कमरे हैं	हॉ/नहीं
	ख) क्या सभी कमरों के साथ बॉल्कनी है	हॉ/नहीं
	ग) क्या कमरे सन फेसिंग हैं	हॉ/नहीं
3.	प्रत्येक कमरे में व्यक्तियों की संख्या हेतु आवास	
	i) 1 डबल बेड/2 सिंगल बेड	हॉ/नहीं
	ii) अतिरिक्त 2 बेड/गद्वों हेतु स्थान एवं उसका क्षेत्र	हॉ/नहीं
	(अर्थात 1 डबल बेड/ 2 सिंगल बेड व 2 बेउ सहित	
	अतिरिक्त बेडिंग)	
4.	कमरों का क्षेत्र: सभी 6 कमरों की लम्बाई x चौड़ाई का i)	
	विवरण केवल फुटों में दें	ii)
	<u> </u>	iii)
		iV)
		V)
5.	क) गीज़र सहित सभी कमरों में संलग्न टॉयलेट एवं 24 घंटे पानी की आपूर्ति	हॉ/नहीं
	ख) आर ओ/ऐक्वागार्ड सहित पेय जल	हॉ/नहीं
6.	निम्न लिखित स्विधाओं की उपलब्धता	
	क)फर्नीचर, कुसिंयाँ, टेबली एवं अन्य वस्तुओं जैसे डबल बेड, इेसिंग टेबल, कपबोर्ड	हॉ/नहीं
	य) केबल/डीटीएच कनेक्शन सहित कलर टी.वी. सेट	हॉं/नहीं
7.	होलीडे होम हेतु अलग से रसोई (एलपीजी कनेक्शन सहित),	हॉ/नहीं
	प्रेशर कुकर एवं इस निविदा दस्तावेज की अनुसूची-2 के 7.6	
	में यथा सूचीबद्ध बर्तन	

- 8. लागू नियमों के अनुसार अग्निशामक की पर्याप्त उपलब्धता हॉं /नहीं
- 9. कार पार्किंग हेतु उचित व्यवस्था
- 10. यदि उपलब्ध हो तो अतिरिक्त सुविधाएँ

.....

तिथि एवं मुहर सहित बोलीदाता के हस्ताक्षर

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCO 335-336, Sector 34-A,

Chandigarh – 160022

11 August 2015

TENDER NOTICE

Bureau of Indian Standards invites sealed bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid) for providing accommodation for setting up its holiday home at one of the places in and around Dharmashala/Dalhousie/Mussoorie from eligible bidders as per the details given below:

- 1. Eligibility
- a) The bidder should have a Licence of Appropriate Authority awarded to the party for carrying out business.
- b) The bidder should have a Hotel/Guest House at places in and around Dharmshala/Dalhousie/ Mussoorie.
- c) The bidder should have a valid PAN issued by the Income tax Department.
- d) The bidder should have a valid Service Tax Registration.
- e) The bidder Should not have been blacklisted by the Deptts./Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).
- f) The Bidder should have a minimum turnover of Rupees 5 lakhs per year, during the last three years.
- 2. Proposed validity of the contract: One Year
- 3. Availability of Tender Documents:

Place: Administration Department at the above address during office hours and BIS website www.bis.org.in or www.eprocure.gov.in.

Period: 11 August 2015 to 31 August 2015

- 4. Pre-bid Conference:1500 h on 19 August 2015 (Wednesday)
- 5. Method/manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing "Tender for providing accommodation for setting up BIS holiday home" having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Asstt. Director (Admn.& Finance), Bureau of Indian Standards, SCO 335-336, Sector 34-A, Chandigarh 160022".
- 6. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at 1530 h on 31 August 2015 (Wednesday).

7. Earnest Money Deposit: Rs. 10,000/-

8. Performance Security Deposit: 5% of the total annual value of the award of contract.

9. Validity of Bids: 90 days from opening of technical bid.

10. The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason at any stage.

(Amit Garg)

Asstt.Director (Admn. & Finance)

E-mail: adminnro@bis.org.in Tel: 0172-2604552/Fax: 0172-2602025/2604552

TENDER DOCUMENT

SCHEDULE - 1: INSTRUCTIONS TO BIDDERS

1. Notice Inviting Bids:

1.1 Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from interested parties under two-bid system for providing accommodation for setting up BIS Holiday Home at one of the places in and around Dharmshala/Dalhousie/Mussoorie.

2. Issue of Tender Document:

2.1 Administration Department, Bureau of Indian Standards, SCO 335-336, Sector 34-A, Chandigarh during office hours

Period: 11 August 2015 to 31 August 2015 (up to 1500 hrs)

- 2.1 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau www.bis.org.in or www.eprocure.gov.in.
- 2.2 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.
- 2.3 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.
- 2.4 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.

3. Language of Bid/Contract:

3.1 The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.

4. Pre-bid Conference:

4.1 A Pre-bid conference of all intending Bidders will be held at the scheduled date and time indicated in the Schedule-4. Intended Bidders will be allowed to seek clarification, if any.

5. Validity of Bids:

- 5.1The Bids will be valid for a period of 90 days from the date of its opening.
- 6. Earnest Money/ Bid Security:
- 6.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the Schedule-4 as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards, payable at Chandigarh.
- 6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).
- 6.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the Bureau for providing accommodation for setting up its holiday home during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.
- 6.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, Earnest Money Deposit of the successful bidder will be forfeited by the Bureau.
- 6.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.
- 7. Eligible Bidders
- a)The bidder should have a Licence of Appropriate Authority awarded to the party for carrying out business.
- b) The bidder should have a Hotel/Guest House at places in and around Dharmshala/Dalhousie/ Mussoorie.
- c) The bidder should have a valid PAN issued by the Income tax Department.
- d) The bidder should have a valid Service Tax Registration.
- e) The bidder Should not have been blacklisted by the Deptts./Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).
- f) The Bidder should have a minimum turnover of Rupees 5 lakhs per year, during the last three years.
- 8. Rates how to be quoted
- 8.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the prevalent rates in the market. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its

Bid quoted in the attached schedules, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.

- 8.2 The Bidder to quote rates in Financial Bid given in Schedule-5. In case of not quoting the rate in the Financial Bid, the bid shall be rejected.
- 8.3 Initially, the Contract shall be valid for one year which can be extended for further two years on the yearly basis and mutual consent after satisfactory performance of the contractor. However, the rates once quoted shall not be changed at the time of renewal of contract.
- 9. Manner of Submission of Bid
- 9.1The complete Bid will be received as indicated in the Schedule-4, by depositing the same through the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time.
- 9.2The bid received through e-mail or fax will be rejected.
- 10. Last Date for Submission
- 10.1 Sealed Bids shall be received at the address specified above not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.
- 10.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.
- 11. Modification and Withdrawal of Offer
- 11.1 The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.
- 12. Contents of Bid Document
- 12.1Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing "Bid for providing accommodation for setting up BIS holiday home" as mentioned in the Schedule-4.
- 12.2 The envelopes shall contain the following:
- a) Envelope No.1 (Technical Bid): This should contain all technical details along with commercial terms and conditions such as:
- (i) List of all the documents enclosed.
- (ii) The EMD as indicated in clause 6.1 above.

- (iii) Self-attested copy of the valid licence of Appropriate Authority awarded to the party for carrying out business of hotel industry.
- (iv) Description of Holiday Home in Annexure 5 of Schedule 7.
- (v) Copies of Profit and Loss Accounts and Income & Expenditure Statement for the last three years duly attested by the Chartered Accountant in proof of minimum turnover of Rupees 5 lakhs per year.
- (vi) Self-attested copies of valid PAN issued by the Income tax Department and Service Tax Registration.
- (vii) Details of the firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc. (Annexure-2 of Schedule 7).
- (viii) In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid. The power of attorney shall be signed by all partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided.
- (ix) All pages and pasted slips should be signed by the Bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be returned as a token of its acceptance.
- (x) A statement showing the magnitude of Work/Service done in the last three (3) years (Annexure-3 of Schedule 7).
- (xi) A declaration regarding black-listing and/or litigations (Annexure-4 of Schedule 7).
- b) Envelope No.2 (Financial Bid): This envelope shall only contain category-wise price for the services to be hired at specified places as per Schedule-2, duly filled in and initialed on each page and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid. The instructions contained in clause 8 may please be noted.
- c) Covering Envelope: Both the envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing the "Bid for Providing Accommodation for BIS HOLIDAY HOME" as mentioned in Schedule-4 and the name and address of the Bidder at the bottom left.
- 13. Other Important Points to be noted by the Bidder:
- a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places (Schedule 5).
- b) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in Tender Document, failing which the Bid shall be liable to be rejected. Conditional Bids will be rejected.
- 14. Opening of Bid
- 14.1 The Bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per Schedule-4, in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day.

15. Shortlisting of Bidders

15.1 The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at a date and time to be intimated.

16. Opening of Financial Bids

16.1 The Bureau shall open Envelope No.2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (Schedule-5) shall then be read out.

17. Acceptance of Bid

17.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bid shall be accepted on the basis of L1, as per rates quoted in the Financial Bid. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

18. Process to be confidential

18.1 Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

19. Execution of Contract Document

- 19.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security, is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value of Rs. 100/-. The Agreement should be signed within 15 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.
- 19.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

20. Rights of the Bureau

- 20.1 The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid.
- 20.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

21. Notice to form Part of Contract

21.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

SCHEDULE - 2

CONDITIONS OF CONTRACT

1. Definitions

- i) "Annexure" referred to in these conditions shall means the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
- ii)"Approved" shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and "Approval" shall mean approval in writing including as aforesaid.
- iii) "Bid" means the Contractor's priced offer to the Bureau for the Holiday Home accommodation at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, the installation and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- iv) "Bureau" shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- v) "Commencement Date" means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
- vi) "Competent Authority" shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- vii) "Contract" shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- viii) "Contract Amount" shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- ix) "Contractor" shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- x) "Deputy Director General" shall mean the Deputy Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- xi) "Government" shall mean the Central Government.
- xii) "Letter of Acceptance" means the formal acceptance by the Bureau.

- xiii) "Services" shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and other services that are prescribed in the Tender document.
- xiv) "Specification" means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.
- xv) "Tender" means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer rates for Providing Accommodation for BIS Holiday Home at the specified places.
- xvi) "Time for Completion" means the time for completing the supply and passing the Tests of the Goods or any part thereof as stated in the Contract calculated from the Commencement Date.

2. Parties to the Contract

- 2.1 The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau.
- 2.2 The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance Security

- 3.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, as defined in Schedule 4 shall be deposited by the contractor in the form of an Account payee Demand Draft in favour of "Bureau of Indian Standards" payable at "Chandigarh" or a Bank Guarantee as per format indicated in Annexure-1 of Schedule 7.
- 3.2 Performance Security shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau after sixty days of completion of contract provided there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.
- 3.3 Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the Contractor, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said guarantee.

- 3.4 If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.
- 3.5 Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.

4. Contract Documents

- 4.1 The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
- i) The Agreement
- ii) Minutes of pre-bid meetings, clarifications, if any
- iii) The Conditions of Contract
- iv) Tender Notice and Tender Document
- v) Letter of Acceptance.
- vi) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- vii) The Contractor's Offer
- 5 Validity of the Contract
- 5.1 The Contract shall be valid for a period of one year from the date of signing this Contract. The contract will be reviewed after one year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties shall be extended for one year. The total maximum period of contract after yearly extension shall be three years.
- 6. Scope of Work for Providing Accommodation for BIS Holiday Home
- 6.1 The following points shall cover the scope of work under this contract:
- a)The contractor shall provide accommodation for setting up Holiday Home for BIS in a Hotel/Guest House at a convenient place at one of the places i.e. in and around Dharmshala/Dalhousie/Mussoorie.

- b) The Hotel/Guest House for BIS Holiday Home shall be at a convenient distance from Bus Stand and/or Railway Station.
- c) The Holiday Home shall consist of 4-6 rooms, and should have the minimum capacity to accommodate four persons in each room. Each room should have a balcony.
- d) In addition to the double bed or two single beds provided in these rooms, additional beddings (two) would be provided by the holiday home provider as and when required without any additional payment.
- e) The rooms should have facilities of attached toilets with bathroom, geysers and 24 hours water supply.
- f) The rooms should have facilities like, furniture items such as one double bed or two single beds with beddings, dressing table, cupboards, 2 chairs/sofa seats with 1 centre table and colour TV set with cable/DTH connection, etc.
- g) The rooms should be well ventilated preferably sun facing and maintained clean and tidy. The rooms including doors, windows, shall be painted before the start of the lease period and repainted/distempered polished once in a year.
- h) Room shall be got cleaned every day and as and when required. The linen of beddings shall be changed daily and with change of occupants.
- i) Curtains shall be cleaned periodically.
- j) Two towels and two soap cakes shall be provided to officials occupying rooms once on checking in and will be replaced every day.
- k) The Contractor (holiday home provider) shall ensure adequate supply of both hot and cold water in bath/toilets.
- I) Holiday home provider shall carry out all maintenance work in the building and keep all fittings and fixture in good condition.
- m) In winter season, from 1st December to 28 February of each year, the holiday home provider shall provide a heat convector in each of the rooms occupied by the lessee as well as on demand by the occupant during the remaining period of the year.
- n) The Holiday Home should have the facility of food services in room.
- o) The Contractor shall provide a discount of 20% on all food items ordered by BIS officials from the restaurant over the listed Menu prices. The prices shall not be changed during the period of lease agreement.
- p) The contractor shall provide complementary tea/coffee on arrival.

- q) The contractor shall provide one common kitchen facility to BIS in the premises of Holiday Home, on the same floor along with primary infrastructure i.e. gas stove in running conditions, 2 pressure cookers, adequate utensils for the use in case of all rooms are occupied (4 Patilas, 1 Tawa, 4 sets of 4 plates with bowls, adequate number of glasses and spoons etc.).
- r) The Holiday Home must have the arrangement of car parking.
- s) The Contractor shall provide facility for stay of driver, if required, free of cost.
- 6.2 The Contractor shall also ensure engaging adequate number of employees required for providing Holiday Home services efficiently.

7. Contractor's Obligation

- 7.1 The Contractor shall provide Holiday Home accommodation as per Clause 6 above, which may be amended from time to time by the Bureau during the Contractual period and it shall always form part and parcel of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the Bureau from time to time.
- 7.2 The contractor shall bear all expenses for running BIS Holiday Home and BIS shall not in any manner be liable or reimburse the expenses so incurred except the amount in the Financial Bid, tax liability, if any, as per the contract.
- 7.3 The rooms held by the Contractor shall be kept locked and shall not be allowed to be used by anyone except BIS employees who have been officially allotted the rooms for stay. For this purpose BIS official(s) would carry an official letter from the Lessee.
- 7.4 That the holiday home provider shall maintain a Register for recording the stay of BIS officials and their families in the allotted rooms.
- 7.5 That necessary arrangement for locking and opening of the rooms, keeping records etc. shall be made by the holiday home provider.
- 7.6 It shall be the responsibility of the Contractor to provide manpower for cleaning of utensils of kitchen 2-3 times daily as per the need arises. No additional charges shall be paid by BIS for providing this facility.
- 7.7 The service staff in the BIS Holiday Home should be well uniformed.

8. Payment Terms

- 8.1 BIS shall not be responsible to make any payment to the contractor in case of any loss to the contractor for running the BIS Holiday Home.
- 8.2 Payment of lease amount shall be made on half yearly basis in advance with applicable statutory taxes against invoice/bill. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates.

- 8.3 In case of suspension of contract temporarily (Refer clause 11), no payment for the days contract remains suspended shall be made by BIS to the contractor.
- 9. Imposition of fines / penalty
- 9.1 In case it is found that the rooms officially allotted by BIS to its employees for visiting holiday home, are already occupied by others, a penalty of Rs. 5000/- shall be imposed on each occasion.
- 9.2 In case any complaint is received from visiting BIS employees for improper kitchen facility i.e. items are not provided in the kitchen according to the clause 6.1(q) above, a penalty of Rs. 1,000/- shall be imposed on each occasion.
- 9.3 If the contractor fails to pay the penalty amount as mentioned in clause 9.1 & 9.2 above within 15 days of receipt of written communication from BIS, the same shall be deducted from the performance security.

10. Indemnity:

- 10.1 The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.
- 10.2 The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.

11. Suspension of Contract

- 11.1 The Bureau shall be at liberty at any time to temporarily suspend this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.
- 11.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
- (a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
- (b) Without reasonable excuse Contractor has failed to provide proper Holiday Home services in accordance with this Contract;
- (c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;

- (d) If the Contractor is in breach of any law or statute governing to provide services;
- (e) The Contractor, in the judgment of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (f) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (g)The Contractor becomes insolvent;
- (h) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (i) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (j) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.

12. Termination by the Bureau

12.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days' notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

13. Contractor's right to terminate

13.1 If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 30 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 30 days, then the entire security deposit will be forfeited.

14. Force Majeure Clause

14.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Deputy Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Deputy Director General, which shall be final.

15. Corrupt or Fraudulent Practices

- 15.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
- (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and
- (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- 15.2 The Bureau will reject a proposal for award if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

16. Confidentiality

16.1 The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing Holiday Home services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

17. Publicity

17.1 Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

18. Disputes & Arbitration

18.1 The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

19. Mode of serving Notice

- 19.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 19.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of

the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

- 20. Governing language
- 20.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English/Hindi only.
- 21. Law
- 21.1 The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.
- 22. Legal Jurisdiction
- 22.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Chandigarh only.
- 23. Stamp duty:
- 23.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

SCHEDULE - 3

BLANK PAGE

SCHEDULE - 4: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

1. Proposed validity of the contract – One year. However, the contract will be reviewed and extended after every year subject to the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties up to 3 years.

2. Availability of Tender Documents:

Place: Administration Department at the above address during office hours and BIS website www.bis.org.in or www.eprocure.gov.in.

Period: 11 August 2015 to 31 August 2015

3. Pre-bid Conference:1500 h on 19 August 2015 (Wednesday)

4.Method/manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing "Tender for providing accommodation for setting up BIS holiday home" having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Asstt. Director (Admn.& Finance), Bureau of Indian Standards, SCO 335-336, Sector 34-A, Chandigarh - 160022".

5. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at 1530 h on 31 August 2015 (Wednesday).

6.Earnest Money Deposit: Rs. 10,000/-

7.Performance Security Deposit:5% of the total annual value of the award of contract.

8. Validity of Bids: 90 days from opening of technical bid.

9. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract:

Shri Amit Garg, Asstt. Director (Admn.& Finance)

E-mail: adminnro@bis.org.in Tel: 0172-2604552/Fax: 0172-2604552/2602025

SCHEDULE – 5 : FINANCIAL BID

(To be si	ubmitted in Fin	ancial Bid enve	elope)	
The Asst	tt. Director (Adr	nn. & Finance)	
Bureau	of Indian Standa	ards,		
SCO 335	-336, Sector 34	-A,		
Chandig	arh – 160022			
Sir,				
	ference to you Home", I/We q	-	iry dated as given below :	for "Providing Accommodation for BIS
S.No.	Room No.	Lease amo	ount (room-wise) for c	one year (Rs. In figures & words)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	Total			
Applicat	ole Taxes :	-		
a) :	Service Tax		:	
	Luxury Tax		:	
c) .	Any other tax, i	f applicable	:	
	ve read the ter ervices to BIS.	nder documen	t and understood all	the terms & conditions for providing Holiday
Signatur	·e			Date:
(with sea				
Name				
Δddress				

SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM

Signature)

AGREEMENT					
THIS AGREEMENT made on (Name and Address of the Coshall, unless it be repugnant successors and assigns) of the Chandigarh - 160022 (herein repugnant to the context of assigns) of the OTHER PART.	ontractor) (here to the context ONE PART and nafter referred	einafter re t or meani d the Burea to as the	ferred to as the CON ing thereof, be deem au of Indian Standard e BUREAU, which ex	ITRACTOR, which expressined to mean and include is, SCO 335-336, Sector 34 pression shall, unless it	its -A, be
WHEREAS the Contractor is a by Parliament. The Bureau in Advertised / Limited / Single	ntends to set ι	ıp Holiday	Home, therefore, ir	•	
WHEREAS the Contractor (su bid document and was select on contract prices, awarde	ed as "successi	ful bidder"	pursuant to the bide	ding process and negotiat	ion
BOTH THE PARTIES HERETO a Tender Document (Tender De	_				
(Signature of Contractor/ (S	ignature of Aut	horized Of	ficer of the Bureau)		
Authorized Representative)					
NameN	ame				
Designation D	esignation				
Address	Address				
Seal of the Firm/Company	Seal of the B	ureau			
Witness:	Witness:				

(Signature)

Name of Witness	Name of Witness
Address	Address
SCHEDULE - 7: OTHER ST	TANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE BIDDERS
1.Annexure-1FORM OF E	BANK GUARANTEE BOND
(To be sub	mitted by the successful bidder as performance security as
applicable)	
2.Annexure-2DETAILS TO	D BE FURNISHED BY THE BIDDERS
(To be sub	mitted by all the bidders in the envelope containing the
technical b	vid.)
3.Annexure-3DETAILS O	F THE SIMILAR TYPE OF SERVICES PROVIDED BY
THE BIDDE	R DURING LAST 3 YEARS
(To be sub	mitted by all the bidders in the envelope containing the
technical b	vid.)
4.Annexure-4DECLARAT	ION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR
LITIGATION	NS
(To be sub	mitted by all the bidders in the envelope containing the
technical b	vid.)
5.Annexure-5DESCRIPTIO	ON OF PROPOSED BIS HOLIDAY HOME
(To be sub	mitted by all the bidders in the envelope containing the
technical b	vid.)

Annexure –1 of Schedule 7

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

	au of Indian Standards (hereina	•	EAU") having agree called "the	ed to said
	mand under the terms and cond			Saiu
		_		
	made between		and	
	for	((hereinafter called	"the
said Agreement of security	deposit for the due fulfillmen	t by the said Contract	or (s) of the terms	s and
conditions contained in the	said Agreement, on production	of a Bank Guarantee f	for Rs.	
	(Rupees		_Only)	
	(hereina			e the
name of the bank)				
at the request of	[(Cor	ntractor (s) do hereby	, undertake to pa	y the
Bureau an amount not exc	ceeding Rs	against any loss or	r demand caused	to or
suffered or would be cause	d to or suffered by the Bureau b	y reason of any breach	h by the said Contr	actor
(s) of any of the terms or co	onditions contained in the said A	Agreement.		
2. We		do hereby unde	ertake to (indicate	e the
name of the bank)				
pay the amounts due and p	payable under this guarantee w	vithout any demur, me	erely on a demand	from
the Bureau of Indian Standa	ards stating that the amount cla	aimed is due by way of	floss or damage ca	aused
to or would be caused to or	r suffered by the Bureau by reas	son of breach by the sa	aid Contractor (s) c	of any
of the terms or conditions of	contained in the said Agreemen	t or by reasons of the	Contractor (s) failu	ıre to
perform the said Agreeme	nt. Any such demand made on	the bank shall be co	nclusive as regard	s the
amount due and payable b	y the Bank under this guarante	e. However, our liabili	ty under this guara	antee
shall be restricted to an am	ount not exceeding Rs			

3. We, undertake to pay to the Bureau any money so disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any sui Tribunal relating thereto our liability under this present being	t or proceeding pending before any Court or
The payment so made by us under this bond shall be a valid under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no clair	
4. We, further agree that the name of Bank)	at the Guarantee herein contained (indicate
shall remain in full force and effect during the period that said Agreement and that it shall continue to be enforceabl virtue of the said Agreement have been fully paid and it authorized officer of the Bureau (Administration Department)	e till all the dues of the Bureau under or by ts claims satisfied or discharged or till the
conditions of the said Agreement have been fully and prope	rly carried out by the said Contractor
(s) and accordingly of the said Agreement have been f Contractor (s) and accordingly discharges this guarantee. Un	
guarantee is made on us in writing on or before the	we shall be discharged from all
liability under this guarantee thereafter.	
5 We	urther agree with the Bureau that the ureau shall
(indicate the name of Bank)	
have the fullest liberty without our consent and without hereunder to vary any of the terms and conditions of performance by the said Contractor (s) from time to time of time any of the powers exercisable by the Bureau against enforce any of the terms and conditions relating to the saffrom our liability by reason of any such variation, or extension	the said Agreement or to extend time to or to postpone for any time or from time to
for any forbearance, act or commission on the part of the the said Contractor (s) or by any such matter or thing w sureties would but for this provision, have effect of so reliev	on being granted to the said Contractor (s) or Bureau or any indulgence by the Bureau to hatsoever which under the law relating to
the said Contractor (s) or by any such matter or thing w	on being granted to the said Contractor (s) or Bureau or any indulgence by the Bureau to rhatsoever which under the law relating to ing us.

its currency except with the previous consent	of the Bureau in writing.
Dated theday of20	
For	
(indicate the name of bank)	
Annexure–2 of Schedule 7	
DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS	
ALONG WITH "TECHNICAL BID"	
1.Name of the Firm/Company/Hotel/Guest Ho	ouse:
2.Class of Registration validity with date	:
3. Value of Registration	:
4.Address for Communication	:
5.Telephone No.	:
6.E-mail	:
7. Details of Proprietor/Partner/Director	:
NameAddressQualification and Experience	
8.Annual Turnover of the Firm/Company durin	ng previous three Financial Years
(Certified copies of Profit & Loss Accounts and	Income & Expenditure Statement to be submitted):

Financial YearAnnual Turnover (Rs)Copies are enclosed
(Yes/No)
Previous Financial Year (Y-I)2014-15
2nd Previous Financial Year (Y-2) 2013-14
3rd Previous Financial Year (Y-3) 2012-13
9. PAN, TIN Number of the Firm/Company :
(enclose copy)
10. Service Tax Registration No. :
(enclose copy)
11. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:
This is to certify that the above facts are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.
I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.
Date: Name and Signature of the Firm/Company
Place:Seal of the Firm/Company

Annexure -3 of Schedule 7

Details o	of the similar type of Services pro	ovided by the Bidder during last 3 years to be submitted along
"TECHN	ICAL BID"	
Name o	f the Bidder:	
Year	Name and Type of Name &	Value of Remarks
	services provided Address of t	heContract
	Client	
2014-20	15	
2013-20	114	
2012-20	13	
Date:Sig	nature of Bidder	
Na	me & Address of Bidder	-
Sea	al of the Firm/Company	

Annexure-4 of Schedule 7

Declaration regarding black-listing and/ or litigations to be submitted along with "TECHNICAL BID"

I/we hereby declare that our Firm/Agency/Hotel/Guest House/Holiday Home is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the firm/company or its Owner/Partners/Directors anywhere in India.

Date: The	day of	2015.
Signature of Bidder		
Name & Address of Bido	der	
Seal of the Firm/Compa	ny	

ANNEXURE 5 of Schedule 7

(Technical Bid)	
SI. Description of proposed holiday homeRemark	
No.	
1a) Name of the Hotel / Guest House:	
b)Location –vicinity (Place where it is situated):	
c) Distance from Railway StationKm.	
d) Distance from Bus StandKm.	
2.a)Whether Four to Six Rooms are available for providing to B	S Holiday Home.Yes/No
b) Whether attached balcony in all rooms	Yes/No
c) Whether rooms are sun facing	Yes/No
3.Accommodation for number of persons in each room:	
i) 1 Double Bed/2 single beds	Yes/No
ii) Space for additional 2 beds/Mattresses	Yes/No
and its area (i.e. 1 Double Bed/2 single beds two beds	plus
additional beddings)	
4.Area of the rooms. Give detail in length x breath in feet only o	of allRooms
i)	
ii)	
iii)	
iv)	
v)	
vi)	

5.a) Attached toilets with all roomswith geysers and Yes/N		
24 hour water supply		
b) Drinking water supply with RO/Aquaguard	Yes/No	
6.Availability of Facilities like:		
a) Furniture, Chairs, table and other items like double beds, dressi	ing Yes/No	
table, cupboards.		
b) Colour TV sets with cable/DTH connection	Yes/No	
7.Separate Kitchen for Holiday Home (with LPG connection),	Yes/No	
Pressure cooker & utensils etc as listed in the 6.1(s) of Schedule-2	of this	
tender document.		
8. Adequate provision of fire-fighting as per norms applicable	Yes/No	
9. Adequate provision for car parking	Yes/No	
10.Additional facilities, if available:		
Signature of Bidder		
with date & seal		